न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 17 / 2024
ऑनलाईन नंबर 2024 / 60

निर्णय दिनांकः 18/02/2026

रामचन्द्र पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. खेताराम पुत्र गोधूराम जाति मेघवाल निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बृजेश पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 03
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 पुत्र – पिता है, जो कि गोधूराम उर्फ गोदिया पुत्र देवा जाति चमार (मेघवाल) के वारिसान है। प्रार्थी के दादा गोधूराम उर्फ गोदिया की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 162, 205, 491, 950 कुल कीता 4 कुल तादादी 92 बीघा 16 बिस्वा वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रही है। उपरोक्त खसरान भूमि के क्रमशः वर्तमान खसरा नम्बर 195 तादादी 5.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 4.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 तादादी 6.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.080 हैक्टेयर रोही शेरूणा में स्थित रही है उपरोक्त खसरान भूमि प्रार्थी के पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की वंश वंशावली प्रार्थना पत्र की समझाईश हेतु निम्न से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested

वादगत खसरान भूमि के खातेदार [illegible] हो गई। [illegible] खसरान भूमि खातेदार गोदिया की मृत्यु के पश्चात [illegible] वादगत खसरान भूमि [illegible] इन्तकाल 1136 दिनांकित 22.09.1998 के जरिये गोदिया के जायज वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता, भाई व बहिनो के नाम दर्ज की गई। उपरोक्त खसरान भूमि प्रार्थी के दादा की खातेदारी होने के नाते वादगत खसरान भूमि में प्रार्थी का बाई बर्थ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

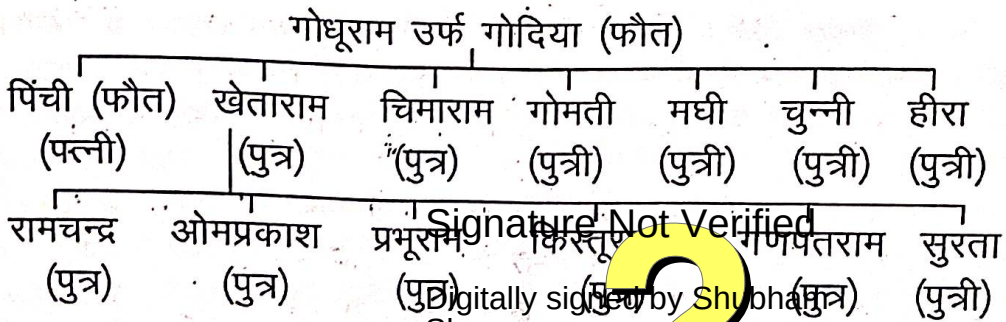

कानून हक हिस्सा चला आ रहा है। प्रार्थी की दादी पिंची की मृत्यु उपरान्त वादगत खसरान का विसरस्तन इन्तकाल 1462 दिनांक 04.06.2005 को तस्दीक किया गया तथा प्रार्थी की विरास्तन कृषि भूमि के वंटवारे पर वर्तमान खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.0800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 250 तादादी 4.8400 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है । अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि प्रार्थी की विरास्तन पैतृक कृषि भूमि है । वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी गोधूराम उर्फ गोदिया का पौत्र होने के नाते 1/7 हिस्सा भूमि का सअधिकार सदायिकी खातेदार है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चला आ रहा है । प्रार्थी वादगत खसरान भूमि में 1/7 हिस्सा भूमि का काबिज खातेदार है। उपरोक्त हिस्सा भूमि प्रार्थी को गोदिया उर्फ गोधूराम के पौत्र होने के नाते हिन्दू उतराधिकार के तहत बाई बर्थ प्राप्त हुई है । अप्रार्थी संख्या 1 वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने अकेले के नाम का बैजा फायदा उठाकर वादगत खसरान भूमि को विक्रय आदि करने की फिराक में है । अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना अधिकार के समस्त वादगत खसरान भूमि को बाला – बाला ही अप्रार्थी संख्या 3 के यहां रहन रखकर ऋण उठा लिया तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 उक्त ऋण की अदायगी भी नहीं कर रहा है तथा येनकेन प्रकारेण प्रार्थी को भूमिहीन करना चाहता है। प्रार्थी के पास उक्त पैतृक कृषि भूमि के अलावा कोई खेत नहीं है। प्रार्थी कृषि पैंशा व्यक्ति है, जो कि अपनी पैतृक हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करता चला आया है। प्रार्थी वादगत खसरान भूमि में 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदारी गोधूराम उर्फ गोदिया के वारिसान होने के नाते अपने नाम धोषित करवाने का कानूनी अधिकार रखता है। प्रार्थी पिछले करीब 21 साल से अप्रार्थी संख्या 1 से अलग रहकर अपना परिवार पाल रहा है तथा गोधूराम की मृत्यु पश्चात भाई बंटवारे में दी गई वादगत खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.08 हैक्टेयर भूमि रोही शेरूणा में अपने 1/7 हिस्सा भूमि को काश्त करता चला आया है तथा प्रार्थी ने उक्त हिस्सा भूमि को अधक प्रयास कर उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त व पैतृक हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर जबरन काबिज होना चाहते है । प्रार्थी अपने कब्जे काश्त व पैतृक हक हिस्से की कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोगदृउपभोग का अधिकार रखता है । इस आधार पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष दस्तावेज पेश कर प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया। अप्रार्थी संख्या 3 ने भी मौका कब्जा जांच किये व राजस्व रिकार्ड के तथ्यो की पूर्ण जानकारी लिये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ऋण जारी कर दिया। उक्त ऋण अदायगी की समस्त जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 1 की है। अप्रार्थी संख्या 3 को प्रार्थी की पैतृक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल करने या उसे रहन, वहन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । वादगत खसरान भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने दिनांक 05.01.2024 को प्रार्थी को ऐलानियां कहा कि वादगत खसरान भूमि को हम सांठ–गांठ खुर्द–बुर्द कर देगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल कर जबरन कब्जा करके रहेगे। इसलिये प्रार्थी के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वादगत खसरान भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है तथा वादगत खसरान भूमि मे प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा प्रार्थी का अपने हिस्सा भूमि पर पिछले 21 वर्षो से कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.01.2024 को प्रार्थी के पैतृक हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने व वादगत खसरान भूमि को खुर्दबुर्द करने की ऐलानियां धमकी दी गई है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 4.8400 हैक्टेयर कुल तादादी 11.9200 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करे, बाधा उत्पन्न नहीं करे, हिस्से को रहन, बहन, खुर्द–बुर्द नहीं करे। ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नही करे, जिससे प्रार्थी अपने पैतृक खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.0800 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 250 तादादी 4.8400 हैक्टेयर रोही सैरूणा की भूमि का एकमात्र खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ही हैं । उक्त खसरान की भूमि के संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार का हक व हिस्सा कानून प्राप्त नही हैं । प्रार्थी झगड़ालू व लालची प्रवृति का व्यक्ति है, जो कि पीछले 20–21 वर्षो से अपने परिवार सहित अलग रहता है तथा कमाता हैं । जिसने कभी भी वादगत खसरान की भूमि को काश्त नही किया ना ही कोई कब्जा प्रार्थी का रहा हैं । अप्रार्थी संख्या 1 एकमात्र वादगत खसरान की भूमि का मूल मालिक है । इस आधार पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं। वादगत खसरान की सम्पूर्ण खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के सहखातेदार के परित्याग से प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व सहखातेदारो द्वारा परित्याग किया गया, जिस पर प्रार्थी को किसी प्रकार के हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकार नही है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थी को विरास्तन हक हिस्से की घोषणा का प्रार्थना पत्र/दावा का खाता विभाजन का कानूनन अधिकार नही हैं एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.0800 हैक्टेयर व [illegible] 250 तादादी 4.8400 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के [illegible] यहां रहन चली आ रही है इसलिये प्रार्थी को उक्त खसरान की भूमि को रहनमुक्त [illegible] से पूर्व किसी भी प्रकार से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का [illegible] अधिकार हासिल नही है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने [illegible] है। प्रार्थी को वादगत खेत खसरा नम्बर 1316 व 250 के संबंध में कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है जिसके आधार पर वो न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त कर सके क्योंकि वादगत खसरान की उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 बैंक का ऋण वर्तमान में बकाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 16:38:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

चला आ रहा है जब तक वादगत भूमि को रहनमुक्त नही कर दिया जाता तब तक उक्त भूमि पर मालिकाना अधिकार अप्रार्थी संख्या 3 बैंक का हैं तथा बैंक की अनुमति के बिना प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार हासिल नही है प्रार्थी द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यदि प्रार्थी सफल हो जाता है तो बैंक का हित प्रभावित होता है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 यदि उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते है तो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को पहले अप्रार्थी संख्या 3 बैंक से रहनमुक्त प्रमाण पत्र लेना कानूनन आवश्यक है इसके बिना प्रार्थी के पक्ष में ना तो कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है व ना ही सुविधा संतुलन का सिद्धात प्रार्थी के पक्ष में है व ना ही वादगत खसरान की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त है प्रार्थी ने गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके वादगत खसरान की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित करवा रखा है जिसकी वजह से अप्रार्थी संख्या 3 बैंक को अपुरणीय क्षति हो रही है जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नही है इसलिसे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अतः अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जवाबदेही खर्चा प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 3 बैंक को दिलवाया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का तर्क है कि वादगत खेत प्रार्थी के दादा के गोधूराम उर्फ गोदिया के खातेदारी के रहे है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के दादा गोधूराम उर्फ गोदिया के स्वर्गवास पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। प्रार्थी की यह पैतृक कृषि भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हिस्सा हैं। जिसका निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना है। दौराने वाद यदि अराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अस्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित बनाए रखना है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1316 तादादी 7.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 4.8400 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान तादावा फैसला राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे द्वारा सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ